an>

Title: Regarding alleged nexus between Government institutions and companies providing workers on contract.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, कंपनसेटरी ग्राउंड्ज़ पर जिन लोगों को नौकरी देनी चाहिए, भारत सरकार और दिल्ली सरकार उनको तो नौकरी देती नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सभी डिपार्टमैंट्स में - डीडीए, एम.सी.डी., एन.डी.एम.सी., दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, मंत्रालय, सभी डिपार्टमैंट्स में कॉनट्रैक्ट बेसिस पर ठेकेदारों के द्वारा इंप्लॉइज़ रखे जाते हैं, वे चाहे चौकीदार हों, वाचमैन हों, क्लर्क हों, कोई भी हों। जिनको कंपनसेटरी ग्राउंड्ज़ पर नौकरी मिलनी चाहिए, उनको नौकरी न देकर कॉनट्रैक्ट बेसिस पर लोग रखे जाते हैं। इसमें एक ऐसा नैक्सस है कि जो डिपार्टमैंट के हायर अथॉरिटी के अधिकारी हैं, वे उन कॉन्ट्रैक्टरों से मिलकर, उन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इंप्लाइज़ रखते हैं और मिनिमम वेजेज़ के हिसाब से उनको तनख्वाह देते हैं। 7000 रुपये में फोर्थ क्लास इंप्लॉई रखते हैं, डेटाबेस में नौकरी करने वालों को केवल 10000 रुपये देते हैं। लेकिन जो इस प्रकार के केस हैं कि जो लोग ऑन ड्यूटी मरे हैं, लाडो सराय में डीडीए के दो कर्मचारी माली पार्क में काम कर रहे थे जब एक ट्रक दीवार तोड़कर अंदर घुस गया और दोनों की मौके पर मौत हो गई। उनके 18-20 साल के बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया हुआ है कि 5 परसेंट से ज्यादा कंपनसेटरी में भर्ती नहीं लेंगे। हर डिपार्टमैंट में 500 से 1000 लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, लेकिन कंपनसेटरी ग्राउंड्ज़ पर जिनको ज़रूरत है, जिनके पैरेन्ट्स की नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई, उन परिवार के बच्चों को सरकार नौकरी नहीं देती है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इस प्रकार के लोगों को प्रायॉरिटी दी जानी चाहिए जिनके घरों को इसकी आवश्यकता है। ठेकेदारों द्वारा जो लोगों के अधिकारों में लूट-खसोट हो रही है और उनको मिनिमम वेजेज़ नहीं दी जा रही हैं, ऐसा न करके कंपनसेटरी वालों को प्रायॉरिटी दी जानी चाहिए, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष :

डॉ. किरीट पी. सोलंकी को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।